बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मो. अबसार आलम, पिता- अब्दुल नसीर (साकिन- रामपुर दक्षिण, फारबिसगंज, जिला- अररिया) द्वारा जोगबनी से सहरसा एवं जोगबनी से सुपौल के लिए स्थायी परमिट हेतु दिनांक- 26.10.2016 को कोशी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, सहरसा में 12 सवारी गाडियों के लिए आवेदन किया है, परन्तु अभी तक मो. अबसार आलम को गाडियों की स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

ज्ञातव्य है कि बिहार मोटर वैहिकिल्स रूल, 1992 के नियमावली 72(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि जो आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के यहां लंबित है, उसे एक माह के अंदर निष्पादन करना है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सहरसा द्वारा उक्त आवेदन को जान-बूझकर लंबित रखकर आवेदन का निष्पादन नहीं किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी सहरसा की दिनांक- 29.11.2016 के बैठक के एजेन्डा में शामिल सभी बसों के स्थाई परमिट निर्गत किया गया, परन्तु मो. अबसार आलम के आवेदन को जानबूझकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लंबित रख दिया गया है, जो नियम संगत नहीं है।

अत: मैं, मो. अबसार आलम के आवेदन को अविलंब निष्पादन कर स्थाई परमिट निर्गत करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- जावेद इकबाल अंसारी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 78/2017 - 397 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 07.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 16.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह

(नवल किशोर सिंह) 07.03.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

स्वतंत्रता संग्राम में शहादत पाने वाले अमर शहीद खुदी राम बोस को मुजफ्फरपुर कारा में अमर शहीद जुब्बा सहनी को भागलपुर कारा में, अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला को गया कारा में फांसी दी गयी थी तथा अमर शहीद श्यामनन्दन सिंह ने ब्क्सर कारा में ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ आमरण अनशन पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। राज्य सरकार द्वारा अमर शहीद खुदीराम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर कारा, तथा अमर शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर भागलपुर कारा का नामाकरण किया गया।

अत: मैं अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम पर गया कारा तथा अमर शहीद श्यामनंदन सिंह के नाम पर बक्सर कारा का नामांकन करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./-देवेश चन्द्र ठाकुर,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 69/2017 - 338 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 23.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 16.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 23.02.17
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

श्री जावेद एकबाल, सहायक उर्दू अनुवादक, खगडिया की पुत्री- सबा के कान का इलाज पी.एम.सी.एच., पटना के नाकल, कान, गला रोग विशेषज्ञ से राज्य के बाहर कराने हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक-11.08.2008 से दिनांक- 18.08.2008 के बीच अंतवासी रोगी के रूप में इलाज कराया गया। अंतवासी के रूप में कराए गए चिकित्सा का चिकित्सा विपत्र की राशि- 5,22,758/- (पांच लाख बाईस हजार सात सौ अंठावन) रू. की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जांच एवं प्रति हस्ताक्षरित करते हुए पी.एम.सी.एच., पटना के पत्रांक- 8763, दिनांक- 09.09.2009 द्वारा निदेशक (उर्दू), मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, उर्दू निदेशालय, बिहार सरकार को पैतृक विभाग द्वारा भुगतान करने के लिए भेजा गया है। इसके पश्चात् निदेशक (उर्दू) मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक- का.आ.सं.उ.नि.- 26/2009-65, दिनांक- 09.06.2015 द्वारा मा. मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरांत सबा के कान, नाक, गला का इलाज राज्य के बाहर (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली) से कराने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। उक्त चिकित्सा विपत्र की राशि को बिहार उपचार नियमावली के तहत स्वा.चि. एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प सं.- 1070(14) दिनांक- 20.05.2006 की कंडिका 3-(11) के आलोक में वित्त विभाग की सहमति से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा प्रतिपूर्त्ति की जानी है फिर भी वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच टाल-मटोल की नीति अपनाई जा रही है जिससे जावेद एकबाल वर्ष 2008 से अब तक मानसिक तनाव में जी रहे हैं।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री जावेद एकबाल को उक्त चिकित्सा विपत्र की राशि शीघ्र भुगतान करने तथा इसमें विलंब करने वाले संबंधित पदाधिकारियों पर दण्डात्मक कार्रवाई करने एवं चिकित्सा विपत्र की राशि का भुगतान हेतु समय-सीमा निर्धारित करने एवं समय सीमा के बाद विलंब करने वाले पदाधिकारियों के वेतन से भुगतान करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- सोनेलाल मेहता,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 74/2017 - 343 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 16.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 27.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक- 26 फरवरी, 2010 की निर्गत अधिसूचना को नहीं मानता है, जिसके कारण बिहार विधान मंडल के प्रशाखा पदाधिकारियों सहित सचिवालय के भी प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा राजपत्रित श्रेणी के आवास आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है, उसको भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रशाखा पदाधिकारियों को राजपत्रित नहीं मानने के कारण अनुसचिवीय आवास हेतु उपर्युक्त माना गया है जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं.- 15/वि.स.से.- 02-02/ 2008 का.- 862 बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 (बिहार अधिनियम 03,2008) की धारा (19) की उपधारा (1) का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है।

अत- भवन निर्माण विभाग द्वारा, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना 26 फरवरी, 2010 को नहीं मानने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए बिहार विधान मंडल के प्रशाखा पदाधिकारी सहित सचिवालय सेवा के भी प्रशाखा पदाधिकारी को राजपत्रित मानते हुए राजपत्रित श्रेणी का आवास आवंटन के संबंध में सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करते हैं।

1. ह./- दिलीप कुमार चौधरी, स.वि.प.
2. शिवप्रसन्न यादव, स.वि.प.
3. ह./- लालबाबू प्रसाद, स.वि.प. एवं
4. रामवचन राय, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 71/2017 - 344 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ भवन निर्माण विभाग, बिहार/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 16.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

27.02.2017

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक- 387, दिनांक- 12.08.2015 के द्वारा बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली, 2015 लागू किया गया है। नियमावली में पत्रकार पेंशन योजना की पात्रता (क्रमांक-3) के खंड 1 में पत्र-पत्रिका या मीडिया चैनल में पत्रकार के रूप में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक/ पारिश्रमिक/ मानदेय पर कार्योपरांत सेवा निवृत्त हो चुके हों तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में इस योजना हेतु पंजीकृत हो का उल्लेख है, किन्तु विडबना है कि ऐसी पात्रता धारक, राज्य में एक भी नहीं है, बल्कि सूबे में ऐसे पत्रकार हैं जो विभिन्न पत्र-पत्रिका या मीडिया चैनल में कुल मिलाकर 20 वर्षों तक सवैतनिक/ पारिश्रमिक/ मानदेय पर कार्योपरांत सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा उनके वेतन से भविष्य निधि के मद में कटौती की गई राशि का अल्प-अंशदान मिल रहा है और जिसके कारण सेवा निवृत्त पत्रकार, इस पेंशन योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं।

अत: मैं सरकार से उक्त स्थिति में सेवा निवृत्त पत्रकारों को इस चालू पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए बिहार पत्रकार पेंशन योजना नियमावली 2015 के क्रमांक-3 में पत्रकार पेंशन योजना की पात्रता के खंड-1 में उल्लेखित प्रथम पंक्ति के शब्द को विलोपित कर जोड़ने, शब्द को हटाने के पहले कुल जोड़ने और तृतीय पंक्ति में जुड़े को विलोपित करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नवल किशोर यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 73/2017 - 345 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 16.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 27.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

कैंसर बीमारी आज एक भयावह बीमारी का रूप ले चुकी है और इससे मृत्यु की दर में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। बिहार में 1994 में कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेन्टर नाम से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर के इलाज की व्यवस्था शुरू की गयी थी। 1996 में इस क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। सम्प्रति बिहार में सरकारी क्षेत्र में मात्र इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर पीडितों के चिकित्सा की व्यवस्था है। सम्प्रति इस संस्थान में जो मशीन हैं कोबाल्ट मशीन, ब्रेकी थिरेपी मशीन और सिमुलेटर ये अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं और मुख्य कोबाल्ट मशीन किसी भी समय काम बंद कर सकती है जबकि मुंह, फेफड़ा, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट रूप में आज कैंसर का इलाज न केवल महंगा है अपितु आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा घोषित आंकड़ों के आलोक में बिहार में कैंसर से पीडित होने वाले व्यक्तियों की संख्या- 2012 में 91,721, 2013 में 94,981, 2014 में 98,346 और 2015 में 1,01,820 है। कैंसर से मरने वालों की संख्या बिहार में 2012 में 40,357, 2013 में 41,792, 2014 में 43,272 एवं 2015 में 44,801 दर्ज किया गया है। इस प्रकार बिहार का कैंसर में दसवां स्थान है। लेकिन उसकी तुलना में सरकार की तैयारी नगण्य है। आयुर्विज्ञान संस्थान में सिर्फ इस विभाग में पांच चिकित्सक हैं और 8,000 मरीज प्रतिमाह इस संस्थान में आते है।

इसके अलावे सरकारी क्षेत्र में कोई भी दूसरा अस्पताल कैंसर से बचाव के लिए नहीं है। उपलब्ध मशीने 2018 में अनुपयोगी घोषित हो जाएंगी क्योंकि उनकी निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के निदान के लिए समेकित विकास की योजना और उस योजना को कार्यान्वित किए जाने के तौर तरीकों के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदारनाथ पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 70/2017 - 346 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 16.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

27.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सारण जिलान्तर्गत ग्रामीण इलाकों में इन दिनों विद्युत आपूर्ति की स्थिति काफी खराब हो गई है। लहलादपुर, बनियापुर, जलालपुर, छपरा सदर, मशरख समेत सभी प्रखंडों के गांवों में महज 5 से 7 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। बच्चों की पढ़ाई का समय संध्या 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक बिजली नहीं रहती है। विछले एक साल से गांवों में संध्या से रात्रि दस बजे तक विद्युत आपूर्ति नहीं की गई है। जिसका व्यापक कुप्रभाव शिक्षण कार्यों पर पड़ा है। गांव में बेहतर विद्युत आपूर्ति का दावा खोखला साबित हो रहा है।

अत: मैं सरकार से गांवों में संध्या 5 बजे अप. से रात्रि 10 बजे तक निश्चित रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सच्चिदानन्द राय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 72/2017 - 347 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 27.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ऊर्जा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 16.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।